not feasible (due to non-availability of underground cable pairs).

दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की शक्तियां

42. **श्री नरेन्द्र मोहन:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार द्वारा गठित दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को दी गई शक्तियों का ब्यौरा क्या है और यह दूरसंचार को कहां तक नियंत्रित कर पाएगा तथा क्या यह सच है कि विशेषज्ञों में कुछ मतभेद है; और

(ख) दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को इस समय क्या-क्या गंभीर कठिनाइयां पेश आ रही हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ): (क) और (ख) प्राधिकरण की शक्तियों का ब्यौरा टीआरएआई अधिनियम 1997 की धारा 11 से 14 में दिया गया है विवरण संलग्न है (नीचे देखिए) टी आर ए आई अधिनियम में दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए पर्याप्त शक्तियों का प्रावधान है। तथापि, टीआरएआई के कार्यों तथा शक्तियों के संबंध में टीआरएआई और दूरसंचार विभाग के बीच प्रत्यक्ष बोध का अंतर है। टीआरएआई का यह मत है कि लाइसेंस के लिए निबंधन और शर्तें निर्धारित करते समय का लाइसेंस को संशोधित/रद्द करने के लिए टीआरएआई की सिफारिशें पूर्ववर्ती तथा आज्ञापक हैं। दूरसंचार विभाग का यह मत है कि जहां तक लाइसेंस के मामलों का संबंध है, दूरसंचार विभाग (लाइसेंस प्रदाता) के पास लाइसेंस इत्यादि को संशोधित अथवा रद्द करने, अथवा निबंधन तथा शर्तें निर्धारित करन की पूरी शक्तियां हैं। टीआरएआई की सिफारिशें न तो पूर्ववर्ती हैं और न ही बाध्यकारी हैं। उच्च न्यायालय ने (एक व्यक्ति की खंडपीठ द्वारा दिए गए न्याय निर्णय (सिंगल बैंच जजमैंट) में दूरसंचार विभाग के मतों का समर्थन किया है। तथापि, एक सेल्युलर प्रचालक ने दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच में एक अपील दर्ज की है।

इस समय टीआरएआई से संबंधित मामलों पर सरकार द्वारा गठित दूरसंचार पर समूह ''(जीओटी) द्वारा विचार किया जा रहा है।

विवरण

(टीआरएआई अधिनियम, 1997 की धारा 11 से 14 के उद्धरण)

अध्याय 3

प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य

11. (1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 में किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण के कृत्य निम्नलिखित होंगे–

(क) नए सेवा प्रदाता के समावेश न की आवश्यकता और समय की सिफारिश करना;

(ख) सेवा प्रदाता की अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों की सिफारिश करना;

(ग) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संगतता और प्रभावी अन्त: संबंध सुनिश्चित करना;

(घ) सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने से व्युत्पन्न उनकी आमदनी को बांटने संबंधी व्यवस्था का विनियमन करना;

(ङ) अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के लिए अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण की सिफारिश करना;

(छ) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार के स्थानीय और लंबी दूरी वाले सर्किट उपलब्ध कराने के लिए समयावधि अधिकथित करना और सुनिश्चित करना;

(ज) दूरसंचार सेवा के प्रवर्तन में प्रतियोगिता का सुकर बनाना और दक्षता का संवर्धन करना जिससे कि ऐसी सेवाओं का विकास सुकर हो सके।

(झ) दूरसंचार सेवा के उपभोक्ताओं के हित का संरक्षण करना;

(ञ) सेवा की क्वालिटी को मॉनीटर करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध करायी गई ऐसी सेवा का सावधिक सर्वेक्षण करना

(ट) नेटवर्क में उपयोग किए गए उपस्कर का निरीक्षण करना और सेवा प्रदाताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपस्कर की किस्म की सिफारिश करना;

(ठ) अंत:संबंधित करारों का और ऐसे सभी अन्य विषयों का रजिस्टर रखना जो विनियमों में उपबंधित किए जाएं;

(ड) खंड (ठ) के अधीन रखे गए रजिस्टर को ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसी अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन पर जो विनियमों में उपबंधित की जाएं जनता के किसी व्यक्ति के निरीक्षण के लिए खुला रखना।

(ढ) सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों का निपटारा करना;

(ण) दूरसंचार प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित विषयों और साधारणतया दूरसंचार उद्योग संबंधी किसी अन्य विषय की बाबत केंद्रीय सरकार को सलाह देना;

(त) ऐसी दरों पर और ऐसी सेवाओं के संबंध में

फीस और अन्य प्रभार उदगृहीत करना हो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं;

(थ) सर्वव्यापी सेवा बाध्यताओं का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना;

(द) ऐसे अन्य कृत्य करना जिनके अंतर्गत ऐसे प्रशासनिक और वित्तीय कृत्य भी हैं जो उसे केंद्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाएं या जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

(2) भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) में किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण समय-समय पर आदेश द्वारा उन दरों को राजपत्र में अधिसूचित कर सकेगा, जिन पर भारत में और भारत के बाहर दूरसंचार सेवाएं इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध कराई जाएंगी जिनके अंतर्गत वे दरें भी हैं जिन पर संदेशों को भारत के बाहर किसी देश की पारेषित किया जाएगा:

परन्तु प्राधिकरण एक समान दूरसंचार सेवाओं की बावत भिन्न-भिन्न व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए भिन्न-भिन्न दरें अधिसूचित कर सकेगा और जहां पूर्वोत्तर रूप में भिन्न-भिन्न दरें नियत की जाती हैं वहां प्राधिकरण उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(3) प्राधिकरण, उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करते समय भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों लोक व्यवस्था, शिष्टता या नैतिकता के विरुद्ध कृत्य नहीं करेगा।

(4) प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

12. (1) जानकारी मांगने, अन्वेषण करने आदि की प्राधिकरण की शक्तियां, जहां प्राधिकरण ऐसा करना समीचीन समझाता है वहां पर लिखित आदेश द्वारा—

(क) किसी सेवा प्रदाताओं – किसी भी समय लिखित रूप में अपने कार्यकलाप से संबंधित ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकेगा जो प्राधिकरण अपेक्षा करे; या

(ख) किसी सेवा प्रदाता के कार्यकलाप से संबंधित कोई जांच करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा; और

(ग) किसी सेवा प्रदाता की लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए अपने अधिकारियों या कर्मचारियों में से किसी को निदेश दे सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी सेवा प्रदाता के कार्यकलापों के संबंध में कोई जांच की गई है वहां –

(क) यदि ऐसा सेवा प्रदाता सरकार का कोई विभाग है तो सरकारी विभाग का प्रत्येक अधिकारी;

(ख) यदि ऐसा सेवा प्रदाता कोई कंपनी है तो प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी; या

(ग) यदि ऐसा सेवा प्रदाता कोई फर्म है तो प्रत्येक भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी; या

(घ) ऐसा प्रत्येक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय जिसका खंड (ख) और खंड (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों में से किसी के साथ कारबार अनुक्रम में संबंध रहा था,

जांच करने वाले प्राधिकरण के समक्ष अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में की ऐसी सभी लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज, जो ऐसी जांच की विषय-वस्तु से संबंधित है, पेश करने के लिए और प्राधिकरण को, यथास्थिति उससे संबंधित, ऐसा विवरण या जानकारी भी, जिसकी उससे अपेक्षा की जाए, ऐसे समय के भीतर जो विनिर्दिष्ट किया जाए, देने के लिए आबद्ध होगा।

(3) प्रत्येक सेवा प्रदाता ऐसी लेखाबहियों या अन्य दस्तावेज रखेगा जो विहित किए जाएं।

(4) प्राधिकरण को सेवा प्रदाताओं को ऐसे निदेश देने की शक्ति होगी, जो यह सेवा प्रदाताओं के द्वारा उचित कृत्य करण के लिए आवश्यक समझे।

13. निदेश देने की प्राधिकरण की शक्ति। प्राधिकरण, धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए, सेवा प्रदाताओं को, समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

अध्याय-4

विवादों का निपटारा

14. (1) विवादों के लिए निपटारे का प्राधिकार। यदि सेवा प्रदाताओं के बीच या सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के किसी समूह के बीच उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट विषयों की बावत कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसे विवाद अध्यक्ष द्वारा गठित किसी न्यायपीठ द्वारा न्यायनिर्वीत किए जाएंगे और ऐसा न्यायपीठ दो सदस्यों से मिलकर बनेगा:

परन्तु यदि न्यायपीठ के सदस्यों में किसी प्रश्न या किन्हीं प्रश्नों पर मतभेद है तो वे ऐसे प्रश्न या प्रश्नों का, जिन.पर उनका मतभेद है, कथन करेंगे और उन्हें ऐसे प्रश्न या प्रश्नों पर सुनवाई के लिए किसी तीसरे सदस्य को निर्देशित करेंगे और ऐसे प्रश्न या प्रश्नों का विनिश्चय उस सदस्य की राय के अनुसार किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित न्यायपीठ, नियत दिन से ही, ऐसी सभी अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा जो उन तारीख से ठीक पहले किसी सिविल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित से संबंधित किसी विषय के बारे में प्रयोक्तव्य थे, अर्थात्:–

(i) सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संगतता और अन्त: संबंध;

(ii) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच आमदनी बांटने की व्यवस्था;

(iii) दूरसंचार सेवाओं की क्वालिटी और उपभोक्ताओं का हित;

परन्तु इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित से संबंधित विषयों की बाबत लागू नहीं होगी–

(क) एकाधिकार व्यापारिक व्यवहार, अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और अनुचित व्यापारिक व्यवहार, जो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की अधिकारिता के अधीन है;

(ख) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 9 के अधीन स्थापित उपभोक्ता विवाद प्रतितोष पीठ या उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के समक्ष चलने योग्य किसी व्यष्टिक उपभोक्ता का परिवाद;

(ग) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7ख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तार प्राधिकारी और किसी अन्य व्यक्ति के बीच विवाद।

देश में निजी सेल्युलर फोन संचालक

43. **श्री राज मोहिन्दर सिंह:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में सेल्युलर फोन संचालक के रूप में निजी क्षेत्र की अनेक कंपनियां कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय किस-किस राज्य में किस-किस कंपनी को कार्य करने हेतु कितनी-कितनी अवधि के लिए लाइसैंस जारी किए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इन संस्थानों पर भारी राशि अब भी बकाया है; और

(घ) यदि हां, तो दिसंबर, 1998 के अंत में प्रत्येक कंपनी पर कितनी-कितनी राशि बकाया थी तथा इसमें कितनी राशि पर दोनों पक्षों में विवाद है?

संचार मंत्रलय में राज्य मंत्री श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : (क) जी हां।

(ख) कम्पनियों के नाम तथा संबंधित सेवा क्षेत्रों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है (नीचे देखिए) इस समय, सेल्यूलर सेवा लाइसैंस की अवधि 10 वर्ष है।

(ग) और (घ) जी, हां।

अत्यधिक लाइसैंस शुल्क बकाया है। इसके ब्यौरे विवण-II में दिए गए हैं (नीचे देखिए) लाइसैंस प्राप्त कम्पनियों तथा उनकी एसोसिएशन को या तो बकाया देय राशियों का भुगतान करना स्वीकार नहीं है या फिर उन्होंने उन लाइसैंसों की शर्तों को बदलने की मांग की है जिनके आधार पर उक्त लाइसैंस शुल्क देय है।

विवरण-I

महानगरों /सर्किलों में सेल्यूलर प्रचालकों की सूची

क्र० सं०	कम्पनी का नाम पता	सेवा क्षेत्र
(क) महानगर		
1.	मैसर्ज भारती सेल्यूलर लि०	दिल्ली
2.	मैसर्ज स्टर्लिंग सेल्यूलर लि०	दिल्ली
3.	मैसर्ज बीपीएल सिस्टम्ज एण्ड प्रोजेक्टस लि० बम्बई	बम्बई
4.	मैसर्ज हचीसन मैक्स टेलीकॉम लि०	बम्बई
5.	मैसर्ज मोदी टेलस्ट्रा प्रा० लि०	कलकत्ता
6.	मैसर्ज उषा मार्टिन टेलीकॉम लि०	कलकत्ता
7.	मैसर्ज आर पी जी सेल्यूलर सर्विसेज लि०	मद्रास
8.	मैसर्ज स्काईसेल कम्यूनिकेशन्ज प्रा० लि०	मद्रास
(ख) क्षेत्रीय दूरसंचार सर्किल		
9.	मैसर्ज एयरसेल डिजीलिंक इण्डिया लि०	हरियाणा राजस्थान उ० प्र० (पश्चिम)